



लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 186वीं बैठक दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 का कार्यवृत्त

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 186वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष श्री विजय विश्वास पन्त, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य/अधिकारी उपस्थित हुए:-

उपस्थिति:-

- | | |
|---------------------------|--|
| 01. श्री प्रथमेश कुमार | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ। |
| 02. श्री कमलेश कुमार गोयल | अपर जिलाधिकारी (भू0अ0-प्रथम), प्रतिनिधि-जिलाधिकारी, लखनऊ। |
| 03. श्री पंकज श्रीवास्तव | अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, प्रतिनिधि-नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ। |
| 04. श्री विवेक कुमार सिंह | अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, लखनऊ मण्डल, प्रतिनिधि-अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन। |
| 05. श्री कृष्ण मोहन | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग। |
| 06. श्री प्रमोद कुमार | अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि-आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ। |
| 07. श्री एस.पी. सरोज | प्रोजेक्ट मैनेजर, उ0प्र0 जल निगम (रूरल) प्रतिनिधि-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ। |
| 08. डा0 कल्याण सिंह | उपनिदेशक (पर्यटन) प्रतिनिधि-महानिदेशक, पर्यटन, लखनऊ। |
| 09. श्रीमती कीर्ति साहू | अपर सांख्यिकीय अधिकारी, प्रतिनिधि-संयुक्त आयुक्त-उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ। |
| 10. श्री पुष्कर शुक्ला | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 11. श्री पी0एन0 सिंह | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |

विशिष्ट आमंत्रणी:-

- | | |
|----------------------|---|
| 12. श्री सुशील कुमार | प्रबन्ध निदेशक, मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ। |
|----------------------|---|

अन्य उपस्थिति:-

- | | |
|---------------------------------|---|
| 13. श्री विवेक श्रीवास्तव | सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 14. श्री ज्ञानेन्द्र वर्मा | अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 15. श्री सी0पी0 त्रिपाठी | अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 16. श्री दीपक सिंह | वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 17. श्री एस0पी0 सिंह | संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 18. श्री के0के0 गौतम | मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 19. श्री सोम कमल सीताराम | संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 20. श्री विपिन कुमार शिवहरे | विहित प्राधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 21. श्री अजीत कुमार | अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 22. श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव | सहायक लेखाधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |

सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया। तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

मद सं0	विषय	निर्णय
186/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 185वीं बैठक दिनांक 05.08.2025 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की 185वीं बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

186/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 185वीं बैठक दिनांक 05.08.2025 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का बोर्ड द्वारा अवलोकन किया गया। इस बोर्ड बैठक के बिन्दु संख्या-49 एवं 51 के सम्बन्ध में बोर्ड के सदस्य श्री पुष्कर शुक्ला द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राधिकरण द्वारा पुनः दिखवा लिया जाय। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि दोनों विषयक प्रकरणों को पुनः परीक्षण करते हुए आगामी बोर्ड बैठक में अनुपालन की सही स्थिति प्रस्तुत की जाय।
186/3	परिचालन के माध्यम से पारित 02 प्रस्ताव दिनांक 18.09.2025 का पुष्टिकरण— 3.1 लखनऊ विकास प्राधिकरण का गठन शासकीय अधिसूचना संख्या-3923 / XXXVII-2-DA-7 तददिनांक-19.02.1974 द्वारा किया गया था। नवरात्रि, दशहरा एवं दिवाली त्यौहारों के उपलक्ष्य में विभिन्न योजनाओं में निर्मित प्लेटों का "पहले आओ पहले पाओ" योजना के अन्तर्गत दिनांक 22 सितम्बर, 2025 से 22 अक्टूबर, 2025 तक पंजीकरण/ आवंटन कराये जाने पर विशेष छूट दिये जाने के सम्बन्ध में। 3.2 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नैमिष नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत छूटे हुए खसरा संख्याओं की भूमि को आपसी सहमति से क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव की प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
186/4	लखनऊ विकास क्षेत्र में लखनऊ मेट्रो परियोजनाओं को विशेष सुख-सुविधा परियोजना में अधिसूचित कराये जाने के सम्बन्ध में।	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि0 के अनुरोध के क्रम में लखनऊ विकास क्षेत्र में लखनऊ मेट्रो परियोजनाओं को विशेष सुख-सुविधा परियोजना के रूप में अधिसूचित कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित करते हुए शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
186/5	सेक्टर-जे, बसन्तकुंज योजना के तलपट मानचित्र के संशोधन के सम्बन्ध में।	बसन्तकुंज योजना सेक्टर-जे के अन्तर्गत तलपट मानचित्र के संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
186/6	गोमती नगर विस्तार, सेक्टर-7 नियर पुलिस मुख्यालय, लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण की अर्जित भूमि का नियोजन किये जाने के सम्बन्ध में।	गोमती नगर विस्तार, सेक्टर-7 नियर पुलिस मुख्यालय, लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण की अर्जित भूमि का नियोजन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
186/7	बसन्तकुंज योजना के अन्तर्गत गरुघाट योजना के तलपट मानचित्र के संशोधन के सम्बन्ध में।	बसन्तकुंज योजना के अन्तर्गत गरुघाट योजना के तलपट मानचित्र के संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

186/8	मे0 एडमायर इन्फ्राबेन्चर्स प्रा0लि0 (मिग्सन ग्रुप) के ग्राम-हसनपुर खेवली, तहसील-सरोजनीनगर, लखनऊ के खसरा संख्या-327स, 332, 339, 334स एवं 350/725स 13,330 वर्गमी0 ग्राम समाज भूमि को पुनर्ग्रहण की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।	मे0 एडमायर इन्फ्राबेन्चर्स प्रा0लि0 (मिग्सन ग्रुप) के ग्राम-हसनपुर खेवली, तहसील-सरोजनीनगर, लखनऊ के खसरा संख्या-327स, 332, 339, 334स एवं 350/725स कुल क्षेत्रफल 13,330 वर्गमी0 ग्राम समाज भूमि को आवेदक के पक्ष में पुनर्ग्रहण करने तथा प्रस्तावित मानचित्र पर अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु शासन को सन्दर्भित करने का निर्णय लिया गया।
186/9	हाईटेक टाउनशिप परियोजना अंसल गोल्फ सिटी के अन्तर्गत ग्रामीण आबादी की भूमि पर मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	हाईटेक टाउनशिप परियोजना अंसल गोल्फ सिटी के अन्तर्गत ग्रामीण आबादी की भूमि पर मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त प्रकरण उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु शासन को सन्दर्भित करने का निर्णय लिया गया।
186/10	उ0प्र0 टाउनशिप नीति 2023 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त विकासकर्ताओं की विभिन्न परियोजनाओं के डी.पी.आर. की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	उ0प्र0 टाउनशिप नीति 2023 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त विकासकर्ताओं की विभिन्न परियोजनाओं के डी.पी.आर. की स्वीकृति के सम्बन्ध में मे0 दुर्गा ग्रीन्स इन्फ्राटेक प्रा0लि0, मे0 बाबा इन्फ्रा डेवलपर्स एलएलपी, मे. अविचल इन्फ्रा बिल्ड प्रा0लि0, मे0 एसमैप बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0, मे0 ओमेक्स लि0 एवं मे0 नीलेन्द्राज कन्सट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत कुल 07 परियोजनाओं के डी0पी0आर0 की स्वीकृति विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त बोर्ड द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी कि परियोजनाओं के तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय आवश्यक जनसुविधाएं विशेष रूप से बिजली कनेक्शन व सीवरेज, यथा-विद्युत सबस्टेशन, एस0टी0पी0, ओ0एच0टी0, पेयजल व्यवस्था एवं ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. भवनों के प्राविधान विकासकर्ताओं के स्वामित्व वाली भूमि पर ही प्रस्तावित किये जाय।
186/11	ग्रीन कारीडोर परियोजना हेतु टी.डी.आर. उपविधि-2022 के प्रस्तर-5 उप प्रस्तर -3 के अनुसार सैंडिंग एवं रिसीविंग जोन्स के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में।	ग्रीन कारीडोर परियोजना हेतु टी.डी.आर. उपविधि-2022 के प्रस्तर-5 उप प्रस्तर-3 के अनुसार सैंडिंग एवं रिसीविंग जोन्स के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ग्रीन कोरिडोर परियोजना हेतु टी.डी.आर. उपविधि-2022 के प्रस्तर-5 उप प्रस्तर-3 के अनुसार आई.आई.एम. रोड से किसान पथ तक ग्रीन कॉरीडोर से प्रभावित भूमि को सैंडिंग जोन

		के रूप में तथा ग्रीन कॉरीडोर के समानान्तर 02 किमी० क्षेत्र को रिसीविंग जोन के रूप में चिन्हीकरण कराये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया गया कि टी.डी.आर. जारी करते समय उसके रिकार्ड का रख-रखाव समुचित ढंग से किया जाय।
186/12	शारदा नगर विस्तार योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ के तलपट मानचित्र को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।	शारदा नगर विस्तार योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ के तलपट मानचित्र को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। शारदा नगर विस्तार योजना के तलपट मानचित्र में आरक्षित एस०टी०पी० भूखण्ड में से स्थल पर निर्मित एस.टी.पी. सहित जल निगम ग्रामीण को आवंटित कुल 3.6 हे० भूमि को पृथक करते हुए अवशेष भूमि पर गरीबों के लिए लगभग 1100 इकाइयों के EWS/LIG आवासीय उपयोग में परिवर्तित करते हुए तलपट मानचित्र को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में बैठक में उपस्थित प्रोजेक्ट मैनेजर, उ०प्र० जल निगम (रूरल), लखनऊ द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी। तदोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
186/13	गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विराज खण्ड-1 के स्वीकृत/नियोजित पार्ट तलपट मानचित्र के संशोधन के सम्बन्ध में।	गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विराज खण्ड-1 के स्वीकृत/नियोजित पार्ट तलपट मानचित्र के संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव विचार-विमर्श के उपरान्त बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
186/14	उ०प्र० विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियाँ-2025 में किये गये संशोधन को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	उ०प्र० विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियाँ-2025 में किये गये संशोधन को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उ०प्र० विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियाँ-2025 में किये गये संशोधनों को अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। साथ यह भी निर्देश दिये गये कि जनहित में इसका पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाय।
186/15	नैमिष नगर आवासीय योजना को विकसित करने हेतु तैयार करायी गयी योजना के ले-आउट प्लान के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	नैमिष नगर आवासीय योजना को विकसित करने हेतु तैयार करायी गयी योजना के ले-आउट प्लान के अनुमोदन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा तलपट मानचित्र में आवश्यकतानुसार स्वीकृति एवं संशोधन हेतु उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।







186 / 16	आगरा एक्सप्रेस-वे एवं मोहान रोड के मध्य स्थित भूमि पर प्रस्तावित वरुण विहार आवासीय योजना के तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	आगरा एक्सप्रेस-वे एवं मोहान रोड के मध्य स्थित भूमि पर प्रस्तावित वरुण विहार आवासीय योजना के तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा तलपट मानचित्र में आवश्यकतानुसार स्वीकृति एवं संशोधन हेतु उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।
186 / 17	किसान पथ एवं जेल रोड पर प्रस्तावित आई. टी. सिटी आवासीय योजना के तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	किसान पथ एवं जेल रोड पर प्रस्तावित आई.टी. सिटी आवासीय योजना के तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा तलपट मानचित्र में आवश्यकतानुसार स्वीकृति एवं संशोधन हेतु उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।
186 / 18	सुल्तानपुर रोड एवं किसान पथ के समीप प्रस्तावित वेलनेस सिटी योजना के तलपट मानचित्र की सैद्धान्तिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सुल्तानपुर रोड एवं किसान पथ के समीप प्रस्तावित वेलनेस सिटी योजना के तलपट मानचित्र की सैद्धान्तिक स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा तलपट मानचित्र में आवश्यकतानुसार स्वीकृति एवं संशोधन हेतु उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।
186 / 19	सी0जी0 सिटी योजना में सी0एस0आई0 टावर्स तृतीय के हस्तांतरण के सम्बन्ध में।	सी0जी0 सिटी योजना में सी0एस0आई0 टावर्स तृतीय के हस्तांतरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सी.जी. सिटी योजना में सी.एस.आई. टावर्स 'तृतीय' को भी सी.एस.आई. टावर्स, वेलफेयर कमेटी (पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं0-2394/2014-2015) विपिन खण्ड गोमती नगर को हस्तान्तरण किये जाने हेतु तैयार किये गये ड्राफ्ट अनुबन्ध का अवलोकनोपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
186 / 20	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कराये जा रहे निर्माण/विकास कार्यों के सम्पादन हेतु प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन के क्रम में क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र (RCUES) लखनऊ द्वारा आउटसोर्सिंग के आधार पर आपूर्ति प्राप्त किये जा रहे अवर अभियन्ता (सिविल) की समयावधि विस्तार व 10 अवर अभियन्ता (सिविल) की आपूर्ति जैम पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कराये जा रहे निर्माण/विकास कार्यों के सम्पादन हेतु प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन के क्रम में क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र (RCUES) लखनऊ द्वारा आउटसोर्सिंग के आधार पर आपूर्ति प्राप्त किये जा रहे अवर अभियन्ता (सिविल) की समयावधि विस्तार उनकी सत्यनिष्ठा एवं कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत किये जाने व 10 अवर अभियन्ता (सिविल) की आपूर्ति जैम पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
186 / 21	आर0डी0एस0ओ0 लखनऊ परिसर में अनाधिकृत रूप से निवास कर रहे निवासियों के विस्थापन के सम्बन्ध में।	आर0डी0एस0ओ0 लखनऊ परिसर में अनाधिकृत रूप से निवास कर रहे निवासियों के विस्थापन के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

		<p>आर.डी.एस.ओ. परिसर एवं नंदाखेड़ा तुलसी कॉम्प्लेक्स लखनऊ पर काबिज 113 एवं नंदाखेड़ा कॉम्प्लेक्स के अवशेष 01 परिवार एवं रफाहे आम-क्लब के 24 विस्तापित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना बसंत कुंज में विस्थापित किये जाने हेतु भवन आवंटन सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।</p>
186/22	<p>लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित विकसित योजनाएं यथा कानपुर रोड, मानसरोवर, शारदा नगर, जानकीपुरम, जानकीपुरम विस्तार, सीतापुर रोड, गोमती नगर योजना इत्यादि योजनाओं में प्राधिकरण के ई.डब्ल्यू.एस. टाइप (एस.एस. प्रकार) के भूखण्डों में अवैध रूप से अध्यासित व्यक्तियों को वर्तमान मूल्य के आधार पर धनराशि लेकर नियमित किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित विकसित योजनाएं यथा कानपुर रोड, मानसरोवर, शारदा नगर, जानकीपुरम, जानकीपुरम विस्तार, सीतापुर रोड, गोमती नगर योजना इत्यादि योजनाओं में प्राधिकरण के ई.डब्ल्यू.एस. टाइप (एस.एस. प्रकार) के भूखण्डों में अवैध रूप से अध्यासित व्यक्तियों को वर्तमान मूल्य के आधार पर धनराशि लेकर नियमित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।</p> <p>इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष द्वारा गठित समिति की संस्तुति के क्रम में ई.डब्ल्यू.एस. भवनों की भांति ई.डब्ल्यू.एस. (एस.एस. प्रकार) टाइप के भूखण्डों पर काबिजदार/हकदार के पक्ष में भूखण्डों की नियमितीकरण किये जाने/रजिस्ट्री किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।</p>
186/23	<p>परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र प्राप्त सैनिकों/अधिकारियों को लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न अपार्टमेंट में निर्मित फ्लैटों आवंटन मूल्य/जमा मूल धनराशि पर छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र प्राप्त सैनिकों/अधिकारियों को लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न अपार्टमेंट में निर्मित फ्लैटों आवंटन मूल्य/जमा मूल धनराशि पर छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित करते हुए शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>
186/24	<p>लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित विभिन्न अपार्टमेंट में अनुरक्षण शुल्क के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों एवं शिकायतों के दृष्टिगत फ्लैट के सापेक्ष अनुरक्षण शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में।</p>	<p>लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित विभिन्न अपार्टमेंट में अनुरक्षण शुल्क के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों एवं शिकायतों के दृष्टिगत फ्लैट के सापेक्ष अनुरक्षण शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि वर्तमान में प्रभावी योजनाओं एवं वर्तमान में रिक्त फ्लैटों पर अपार्टमेंट के कम्प्लीशन दिनांक से पांच वर्ष का अनुरक्षण शुल्क फ्लैट के मूल्य में सम्मिलित करते हुए फ्लैट के निबन्धन तिथि से अग्रिम तीन वर्ष का अनुरक्षण शुल्क जमा करा लिया जाय तथा निबन्धन के समय आवंटियों से 03 वर्ष का अनुरक्षण के रूप में शुल्क अग्रिम जमा कराया जाय। निबन्धन के 03 वर्ष के उपरान्त ही अनुरक्षण शुल्क आवंटियों द्वारा देय होगा।</p>

186/25	लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं में रिक्त प्लेटों के फ्रीज मूल्यों की समयावधि एक वर्ष बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में।	कानपुर रोड योजना, शारदा नगर योजना, सीतापुर रोड योजना, समाजवादी लोहिया इन्चलेव देवपुर पारा, ऐशबाग हाईट्स के दामों को पूर्व की भांति माह दिसम्बर 2026 तक पुनः फ्रीज किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।																																										
186/26	बसन्तकुन्ज हरदोई रोड योजना में वर्ष 2005-06 में आवंटित भूखण्डों के स्थान पर वर्ष 2019 में स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार नवीन भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	<p>बसन्तकुन्ज हरदोई रोड योजना में वर्ष 2005-06 में आवंटित भूखण्डों के स्थान पर वर्ष 2019 में स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार नवीन भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में निम्न सूची के क्रमांक 01 से 06 तक के प्रस्तावित/नवीन भूखण्डों में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया:-</p> <table border="1" data-bbox="818 646 1318 972"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>आवंटी का नाम</th> <th>पूर्व आवंटित भूखण्ड संख्या</th> <th>क्षेत्रफल वर्गमी</th> <th>नवीन लेआउट प्लान के अनुसार परिवर्तित / प्रस्तावित भूखण्ड संख्या</th> <th>क्षेत्रफल वर्गमी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>प्रीती सिंह</td> <td>1/119 सेक्टर एन</td> <td>200</td> <td>177 सेक्टर एन</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>किरण कालरा एवं हरेश कालरा</td> <td>608 सेक्टर ओ</td> <td>112.50</td> <td>692 सेक्टर ओ</td> <td>112.50</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>सूपेन्द्र मुदगल</td> <td>174 सेक्टर ओ</td> <td>112.50</td> <td>631-ए. सेक्टर ओ</td> <td>112.50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>जयपाल सिंह</td> <td>162 सेक्टर ओ</td> <td>112.50</td> <td>231 सेक्टर ओ</td> <td>112.50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>रमेश चन्द्र अग्रवाल</td> <td>525 सेक्टर ओ</td> <td>112.50</td> <td>453 सेक्टर ओ</td> <td>112.50</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>चन्द्र मानु</td> <td>308 सेक्टर ओ</td> <td>72.00</td> <td>380 सेक्टर ओ</td> <td>72.00</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	आवंटी का नाम	पूर्व आवंटित भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल वर्गमी	नवीन लेआउट प्लान के अनुसार परिवर्तित / प्रस्तावित भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल वर्गमी	1	प्रीती सिंह	1/119 सेक्टर एन	200	177 सेक्टर एन	200	2	किरण कालरा एवं हरेश कालरा	608 सेक्टर ओ	112.50	692 सेक्टर ओ	112.50	3	सूपेन्द्र मुदगल	174 सेक्टर ओ	112.50	631-ए. सेक्टर ओ	112.50	4	जयपाल सिंह	162 सेक्टर ओ	112.50	231 सेक्टर ओ	112.50	5	रमेश चन्द्र अग्रवाल	525 सेक्टर ओ	112.50	453 सेक्टर ओ	112.50	6	चन्द्र मानु	308 सेक्टर ओ	72.00	380 सेक्टर ओ	72.00
क्र. सं.	आवंटी का नाम	पूर्व आवंटित भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल वर्गमी	नवीन लेआउट प्लान के अनुसार परिवर्तित / प्रस्तावित भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल वर्गमी																																							
1	प्रीती सिंह	1/119 सेक्टर एन	200	177 सेक्टर एन	200																																							
2	किरण कालरा एवं हरेश कालरा	608 सेक्टर ओ	112.50	692 सेक्टर ओ	112.50																																							
3	सूपेन्द्र मुदगल	174 सेक्टर ओ	112.50	631-ए. सेक्टर ओ	112.50																																							
4	जयपाल सिंह	162 सेक्टर ओ	112.50	231 सेक्टर ओ	112.50																																							
5	रमेश चन्द्र अग्रवाल	525 सेक्टर ओ	112.50	453 सेक्टर ओ	112.50																																							
6	चन्द्र मानु	308 सेक्टर ओ	72.00	380 सेक्टर ओ	72.00																																							
186/27	व्यवसायिक सम्पत्तियों (ई.डब्लू.एस., एल.आई. जी. व प्लेट को छोड़कर) के पुनर्जीवन एवं समय विस्तार पर लगे रोक हटाये जाने के सम्बन्ध में।	लखनऊ विकास प्राधिकरण 179वीं बोर्ड बैठक के विषय संख्या-179/13 में संशोधन करते हुए व्यवसायिक सम्पत्तियों के पुनर्जीवन के सम्बन्ध में गुणदोष के आधार पर परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में पुनर्जीवन का अधिकार पुनः उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण में निहित किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।																																										
186/28	विभूति खण्ड, गोमती नगर योजना में पॉलीटेक्निक चौराहे के निकट व्यवसायिक भूखण्ड की मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि0 के पक्ष में की गयी लीज डीड को निरस्त कर आवंटित दुकानों के दुकानदारों को विनय खण्ड, गोमती नगर योजना स्थित व्यवसायिक काम्पलेक्स में प्रथम तल पर स्थित दुकानें आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	<p>विभूति खण्ड, गोमती नगर योजना में पॉलीटेक्निक चौराहे के निकट व्यवसायिक भूखण्ड को मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि0 के पक्ष में की गयी लीज डीड को निरस्त कर आवंटित दुकानों के दुकानदारों को विनय खण्ड, गोमती नगर योजना स्थित व्यवसायिक काम्पलेक्स में प्रथम तल पर स्थित दुकानें आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p> <p>यह भी निर्णय लिया गया कि यदि कोई दुकानदार छूटे हों तो उन्हें यथावश्यकता गुणदोष के आधार पर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किया जा सकेगा साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि इन दुकानों को प्रथम आओ, प्रथम पाओ योजना से पृथक कर दिया जाय।</p>																																										

186/29	लखनऊ विकास प्राधिकरण की व्यवसायिक एवं अन्य सम्पत्तियों के आरक्षित दरों में मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड की 178वीं बैठक के विषय संख्या -178/16 में आंशिक संशोधन करते हुए प्राप्त उच्चतम बोली को आधार न मानते हुए शासनादेश सं0-4049/9-आ-1-99/16समिति /1998 दिनांक 20.11.1999 द्वारा निर्गत कास्टिंग गाइडलाइन्स के आधार पर योजना के सेक्टर रेट या जिलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल्यांकन सूची (सर्किल रेट) के आधार पर गणना किये जाने हेतु अनुमति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
186/30	अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत ग्राम-मखदूमपुर, लखनऊ की खसरा संख्या-242 से आच्छादित भूमि के सम्बन्ध में।	अमर शहीद पथ गोमतीनगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत ग्राम-मखदूमपुर, लखनऊ की खसरा संख्या-242 से आच्छादित भूमि के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-9021/2018 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 20.08.2018, मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या-8571/2018 में पारित आदेश दिनांक 09.05.2025 एवं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की "विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, जिला पंचायतों एवं नगर निगमों में व्याप्त अनियमिताओं पर अंकुश लगाने/जाँच किये जाने के सम्बन्ध समिति" की दिनांक 29 अक्टूबर, 2025 को आहूत बैठक में दिये गये निर्देश के क्रम में प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के दौरान बोर्ड बैठक में जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित अपर जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा बताया गया कि इस सन्दर्भ में जनहित याचिका संख्या-1223/2025 राजकुमार बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य मा0 उच्च न्यायालय में योजित की गयी है। बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त जनहित याचिका की अद्यतन स्थिति ज्ञात कर ली जाय एवं इस प्रकार के प्रकरणों के लिए विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज एवं अर्जनीय कार्यो तथा वित्त विशेषज्ञ भी सम्मिलित हों, का गठन करते हुए विस्तृत नीति तैयार की जाय तथा उसके उपरान्त तैयार नीति को आगामी बोर्ड बैठक में अग्रेतर निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाय।
186/31	ग्राम-उजरियांव, लखनऊ की अर्जित भूमि खसरा संख्या-708, 709, 2459, 2460 एवं 2461 के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	ग्राम-उजरियांव, लखनऊ की अर्जित भूमि खसरा संख्या-708, 709, 2459, 2460 एवं 2461 के नियमितीकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के दौरान बोर्ड बैठक में जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित अपर जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा बताया गया कि इस सन्दर्भ में जनहित याचिका संख्या-1223/2025 राजकुमार बनाम

		उ०प्र० सरकार व अन्य मा० उच्च न्यायालय में योजित की गयी है। बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त जनहित याचिका की अद्यतन स्थिति ज्ञात कर ली जाय एवं इस प्रकार के प्रकरणों के लिए विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति, जिसमें मा० उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज एवं अर्जनीय कार्यो तथा वित्त विशेषज्ञ भी सम्मिलित हों, का गठन करते हुए विस्तृत नीति तैयार की जाय तथा उसके उपरान्त तैयार नीति को आगामी बोर्ड बैठक में अग्रतर निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाय।
186/32	ग्राम भदरूख, तहसील-सरोजनी नगर, लखनऊ की खसरा सं०-325 व 327 के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 23.05.2015 में लिये गये निर्णय के सापेक्ष क्षे०-3890 वर्गमीटर समायोजित भूमि के सम्बन्ध में।	ग्राम भदरूख, तहसील-सरोजनी नगर, लखनऊ की खसरा सं०-325 व 327 के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 23.05.2015 में लिये गये निर्णय के सापेक्ष क्षे०-3890 वर्गमीटर समायोजित भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के दौरान बोर्ड बैठक में जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित अपर जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा बताया गया कि इस सन्दर्भ में जनहित याचिका संख्या-1223/2025 राजकुमार बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य मा० उच्च न्यायालय में योजित की गयी है। बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त जनहित याचिका की अद्यतन स्थिति ज्ञात कर ली जाय एवं इस प्रकार के प्रकरणों के लिए विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति, जिसमें मा० उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज एवं अर्जनीय कार्यो तथा वित्त विशेषज्ञ भी सम्मिलित हों, का गठन करते हुए विस्तृत नीति तैयार की जाय तथा उसके उपरान्त तैयार नीति को आगामी बोर्ड बैठक में अग्रतर निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाय।
186/33	ग्राम-मलेसेमऊ खसरा संख्या-673क क्षेत्रफल 6070 वर्गमीटर को जिलाधिकारी सर्किल रेट के आधार पर विनियमित/आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	ग्राम-मलेसेमऊ खसरा संख्या-673क क्षेत्रफल 6070 वर्गमीटर को जिलाधिकारी सर्किल रेट के आधार पर विनियमित/आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा 6070 वर्गमी० को मा० अंकुश समिति, शासन द्वारा दिये गये निर्देश, अपर महाधिवक्ता द्वारा दिये गये विधिक अभिमत दिनांक 03.12.2025, प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति को फ्री-होल्ड कर देने तथा मानचित्र आदि स्वीकृत कर देने संबंधी विधिक बाध्यताओं के दृष्टिगत आवेदक के प्रार्थना-पत्र के क्रम में प्रार्थना-पत्र के समय लागू जिलाधिकारी सर्किल रेट के आधार पर पूर्व पारित आदेशों को पुर्नस्थापित/विनियमित किये जाने का निर्णय लिया गया।


✍

186/34	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा योजित रिट याचिका संख्या-3939/1999 ल0वि0प्रा0 बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2023 के समादर में मा0 उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. योजित किये जाने के सम्बन्ध में।	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा योजित रिट याचिका संख्या-3939/1999 ल0वि0प्रा0 बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2023 के समादर में मा0 उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. योजित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।
186/35	नैमिष नगर आवासीय योजना की कनेक्टिविटी रोड व एस.टी.पी. हेतु (1) ग्राम-कोडरी भौली, तहसील-बी0के0टी0, लखनऊ में क्षेत्रफल 5.394 हे0 भूमि पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) स्थापित करने, (2) मुबारकपुर चौराहे से विद्यमान पी.डब्ल्यू.डी. रोड से ग्राम-पल्हरी में 24मी0 कनेक्टिंग रोड के लिए क्षेत्रफल 0.604 हे0 भूमि एवं (3) ग्राम-सैदापुर से ग्राम-सरौरा, अलीनगर व घैला से होते हुए आई.आई.एम. रोड से कनेक्टिंग रोड के लिए क्षेत्रफल 24.0290 हे0 भूमि आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 08 अगस्त 2024 के अनुक्रम में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) का अनुपालन करते हुए आपसी सहमति से क्रय करने/भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में।	नैमिष नगर आवासीय योजना की कनेक्टिविटी रोड व एस.टी.पी. हेतु (1) ग्राम-कोडरी भौली, तहसील-बी0के0टी0, लखनऊ में क्षेत्रफल 5.394 हे0 भूमि पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) स्थापित करने, (2) मुबारकपुर चौराहे से विद्यमान पी.डब्ल्यू.डी. रोड से ग्राम-पल्हरी में 24मी0 कनेक्टिंग रोड के लिए क्षेत्रफल 0.604 हे0 भूमि एवं (3) ग्राम-सैदापुर से ग्राम-सरौरा, अलीनगर व घैला से होते हुए आई.आई.एम. रोड से कनेक्टिंग रोड के लिए क्षेत्रफल 24.0290 हे0 भूमि आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 08 अगस्त 2024 के अनुक्रम में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) का अनुपालन करते हुए आपसी सहमति से क्रय करने/भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
186/36	गोमती नगर योजना के विश्वास खण्ड-3 में निर्मित व्यावसायिक काम्प्लेक्स में निबन्धन एवं आयुक्त स्टाम्प उत्तर प्रदेश शिविर कार्यालय हेतु आवंटित द्वितीय तल में फार्निशिंग आइटम हेतु प्राधिकरण के अभियंत्रण विभाग द्वारा आगणित मूल्य रू0 40,00,000/- में से अवशेष रू0-30,44,829/- को ब्याज सहित जमा किये जाने एवं महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0 के पक्ष में विक्रय विलेख पंजीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	गोमती नगर योजना के विश्वास खण्ड-3 में निर्मित व्यावसायिक काम्प्लेक्स में निबन्धन एवं आयुक्त स्टाम्प उत्तर प्रदेश शिविर कार्यालय हेतु आवंटित के द्वितीय तल की कीमत रूपये -96,84,000.00 जमा कर दिया गया है, परन्तु फार्निशिंग हेतु मांगी गयी धनराशि रूपये-40,00,000/- के सापेक्ष अपने कार्यालय से मेसर्स ए0 राजा एप्रूड वैल्यूआर से मूल्यांकन कराकर मात्र रू0-9,55,171/- जमा किया है। प्रकरण के निस्तारण के दृष्टिगत 25 वर्षों पूर्व किये गये साज सज्जा के व्यय की वर्तमान में सत्यापन न होने तथा शासकीय विभाग होने के फलस्वरूप प्राधिकरण द्वारा निबन्धन विभाग से फार्निशिंग हेतु मांगी गयी धनराशि को अपने कार्यालय से मेसर्स ए0 राजा एप्रूड वैल्यूआर से मूल्यांकन कराकर जमा करायी धनराशि रू0-9,55,171/-को मानकर निबन्धन किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि एक बार पुनः प्राधिकरण एवं स्टाम्प विभाग मूल्यांकन कर लें कि इतना अन्तर क्यों आ रहा है उसके बाद प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।


186/37	नगर महापालिका एवं अन्य द्वारा पूर्व में किराये पर उठायी गयी किराये की वो सम्पत्तियाँ जो प्राधिकरण को हस्तान्तरित की गयी है के सूचित विक्रय मूल्य की धनराशि/किश्तें विलम्ब से जमा किये जाने की स्थिति में अधिरोपित ब्याज/दंड ब्याज की दरों में संशोधन के सम्बन्ध में।	नगर महापालिका एवं अन्य द्वारा पूर्व में किराये पर उठायी गयी किराये की वो सम्पत्तियाँ जो प्राधिकरण को हस्तान्तरित की गयी है के सूचित विक्रय मूल्य की धनराशि/किश्तें विलम्ब से जमा किये जाने की स्थिति में अधिरोपित ब्याज/दंड ब्याज की दरों में संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
186/38	सी.एस.आई. एजुकेशनल सोसाइटी (द संस्कृति स्कूल) के पत्र दिनांक 02.12.2025 के क्रम में संस्कृति स्कूल के राजस्व व्ययों एवं अन्य कार्यों हेतु व्ययों का वहन किये जाने के सम्बन्ध में।	सी.एस.आई. एजुकेशनल सोसाइटी (द संस्कृति स्कूल) के पत्र दिनांक 02.12.2025 के क्रम में संस्कृति स्कूल के राजस्व व्ययों एवं अन्य कार्यों हेतु व्ययों का वहन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
186/39	प्राधिकरण में राजस्व सेवा के सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारियों को आउटसोर्सिंग पर रखे जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण की 04 नवीन योजनाओं के कार्यों को सुचारु रूप से कराये जाने हेतु सेवानिवृत्त तहसीलदार/चकबन्दी अधिकारी/ नायब तहसीलदार/सहायक चकबन्दी अधिकारी/ राजस्व निरीक्षक/लेखपाल आदि को आउटसोर्सिंग पर रखे जाने की अनुमति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया एवं निर्देश दिये गये कि कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत उक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों को रखा जाय।
186/40	स्व0 श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव, कनिष्ठ लिपिक की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	स्व0 श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव, कनिष्ठ लिपिक की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
186/41	श्री रामकुमार, सुपरवाइजर द्वारा चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	श्री रामकुमार, सुपरवाइजर द्वारा चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
186/42	स्व0 सुभाष चन्द्र, चैनमैन की सेवाकाल के दौरान चिकित्सा पर व्यय धनराशि इनकी पत्नी श्रीमती उमा देवी को प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	स्व0 सुभाष चन्द्र, चैनमैन की सेवाकाल के दौरान चिकित्सा पर व्यय धनराशि इनकी पत्नी श्रीमती उमा देवी को प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
186/43	लखनऊ विकास प्राधिकरण में अवैध निर्माण/ध्वस्तीकरण/सीलिंग हेतु पूर्व में तैनात सेवानिवृत्त सैनिक 27 सुरक्षाकर्मियों (सुपरवाइजर सहित) के अतिरिक्त सुपरवाइजर-03 तथा सुरक्षा गार्ड-12 सहित कुल 15 सुरक्षाकर्मी को सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।	लखनऊ विकास प्राधिकरण में अवैध निर्माण/ध्वस्तीकरण/सीलिंग हेतु पूर्व में तैनात सेवानिवृत्त सैनिक 27 सुरक्षाकर्मियों (सुपरवाइजर सहित) के अतिरिक्त सुपरवाइजर-03 तथा सुरक्षा गार्ड-12 सहित कुल 15 सुरक्षाकर्मी को सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

186/44	लखनऊ विकास प्राधिकरण में गठित प्रवर्तन दल में तैनात सेवानिवृत्त उ०प्र० पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० के कार्मिकों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में।	लखनऊ विकास प्राधिकरण में गठित प्रवर्तन दल में तैनात सेवानिवृत्त उ०प्र० पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० के कार्मिकों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा मेडिकल फिटनेस को आधार मानते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अनुपूरक विषय		
अनु०वि० 186/1	गोमती नदी के दायें किनारे प्रस्तावित इकाना स्टेडियम की ओर से अमर शहीद पथ से किसान पथ तक ग्री कॉरिडोर के तहत तटबन्ध के निर्माण हेतु आने वाले ग्राम अरदौनामऊ, बक्कास, मस्तेमऊ, चौरहिया, चौरासी, नूरपुरबेहटा की भूमि के अर्जन, आपसी सहमति से क्रय एवं लैण्ड पूलिंग के माध्यम से भूमि जुटाव के सम्बन्ध में।	गोमती नदी के दायें किनारे पर प्रस्तावित ग्रीन कॉरिडोर के तहत तटबन्ध निर्माण हेतु अमर शहीद पथ से किसान पथ तक आने वाले ग्राम अरदौनामऊ, बक्कास, मस्तेमऊ, चौरहिया, चौरासी, नूरपुरबेहटा के अन्तर्गत आने वाली भूमि के अर्जन, आपसी सहमति से क्रय करने एवं लैण्ड पूलिंग के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
अनु०वि० 186/2	प्राधिकरण द्वारा निर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल, बसन्तकुंज के लोकार्पण पर आने वाले व्यय भार के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण द्वारा बसन्तकुंज योजना में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण कराया गया है, जिसका लोकार्पण शीघ्र मा० प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के कर-कमलों से कराया जाना प्रस्तावित है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कराये गये कार्य की प्राधिकरण बोर्ड द्वारा मुक्त कण्ठ से सराहना करते हुए लोकार्पण पर आने वाले व्यय भार को प्राधिकरण निधि से वहन करने के लिए उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।

प्राधिकरण बोर्ड के मा० सदस्य श्री पी.एन. सिंह एवं श्री पुष्कर शुक्ला द्वारा बोर्ड बैठक के दौरान उ०प्र० भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 के व्यापक प्रचार-प्रसार, समता मूलक चौराहे के ऊपर फलाई ओवर का निर्माण, अवैध निर्माणों की रोकथाम, नई आवासीय योजनाओं में शिक्षा से सम्बन्धित मध्यम आकार के भूखण्डों का सृजन आदि महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये, जिनका बोर्ड बैठक के दौरान स्वागत किया गया। अन्त में उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।


(विक्रम श्रीवास्तव)

सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।


(प्रथमेश कुमार)

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

अनुमोदित


(विजय विश्वास पन्त)

अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।